राजस्व अपील संख्या : 104/2024
उनवान : रिजमाराम व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 104/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/569

अपीलाण्ट्स :–

1. रिजमाराम पुत्र शंकरलाल
2. लीला पुत्री शंकरलाल
3. कैलाश पुत्र शंकरलाल
4. चुन्नीलाल पुत्र शंकरलाल
5. (5/1) रमेश पुत्र शंकरलाल
   (5/2) मोहनी पत्नी
   शंकरलाल तमाम जातिगण
   गरासिया, निवासीगण राजपुरा
   तहसील देसूरी जिला पाली
   राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के बसिलसिले प्रकरण संख्या 01 लगाय 05/2024 बअनवान सरकार बनाम रिजमाराम, सरकार बनाम लीला, सरकारी बनाम कैलाश, सरकार बनाम चुन्नीलाल, सरकार बनाम रमेश व सरकार बनाम मोहनी निर्णय दिनांक 05.09.2024 को अपास्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

–:निर्णय:–

दिनांकः 16.05.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर नायब तहसीलदार देसूरी के **प्रकरण संख्या 01 लगाय 05/2024 बअनवान सरकार बनाम रिजमाराम, सरकार बनाम लीला, सरकारी बनाम कैलाश, सरकार बनाम चुन्नीलाल, सरकार बनाम रमेश व सरकार बनाम मोहनी निर्णय दिनांक 05.09.2024 को अपास्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के विरुद्ध पटवार हल्का माण्डीगढ द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का माण्डीगढ़ के खसरा नम्बर 777 रकबा क्रमशः 0.0400, 0.0400, 0.0400, 0.0400, 0.0400 हैक्टयेर किस्म बारानी दोयम चारागाह पर सम्वत् 2081 में अतिक्रमण कर कच्ची पक्की झौपडी कमरा बनाने की रिपोर्ट पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बिना सुनवायी का अवसर दिये एकतरफा उसी दिन अपीलाण्ट को भौतिक रुप से बेदखली के आदेश पारित किया गया तथा वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा 50 रुपये जुर्माना आरोपित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

यह भी, कि अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि अपीलाण्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने तथा कदीमी 30–40 वर्षों से रहवास, कच्चे मकान, अतिकृषि में डूबे क्षेत्र में आ जाने से खसरा नम्बर 777 रकबा 0.8400 हैक्टयेर किस्म बारानी दोयम ग्राम पंचायत की भूमि पर अपीलाण्ट को प्रशासन, तहसीलदार देसूरी थानाधिकारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी ने वर्तमान पंचायत की मौजुदगी में कच्चा व पक्का टिनशेड के मकान बनाकर दिये जिसमें अपीलाण्ट अपने परिवार सहित निवास कर रहे है तथा मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। अपीलाण्ट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है

यह भी, कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कानूनी प्रक्रिया का ताक पर रखते हुए एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो निर्णय आदेश मनमाना अनुचित व कानूनी सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही उनके विरुद्ध बेदखली के एकतरफा आदेश पारित किये गए। प्रार्थीगण गरीब आदिवासी परिवार है। अतः जैर अपील आलोच्य बेदखली आदेश दिनांक 05.09.2024 को निरस्त किया जाए।

रेस्पोडेण्ट नायब तहसीलदार देसूरी बहस के दौरान अनुपस्थित। बहस के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए तर्कों पर मनन किया गया तथा अपील मीमों एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रेषित प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का माण्डीगढ़ एवं भू–अभिलेख निरीक्षक गुड़ा जाटान द्वारा तहसीलदार देसूरी को टी.पी. रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मौजा राजपुरा के खसरा संख्या 777 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर किस्म <u>बारानी दोयम चारागाह</u> पर अपीलांण्ट एक लगायत पांच का 0.04 हैक्टेयर प्रत्येक का कच्ची झोपड़ी इत्यादि के रुप में कब्जा है। उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट पर न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी में प्रकरण संख्या 01/2024 से 05/2024 अपीलांण्ट के विरुद्ध दर्ज किए गए। अपीलाण्ट्स को दिनांक 22.08.2024 को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2024 तक प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा देने अथवा प्लीडर के माध्यम से नियत तिथी को उपस्थिति हेतु सूचित किया गया। उपरोक्तानुसार जारी नोटिस पर सवार द्वारा अंकित टिप्पणी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस लेने से इनकार कर दिया गया एवं मौके पर उपस्थित दो मौतबिरानों के रुबरु आबाद मकान पर चस्पा किये गए। नोटिस की पुष्ट पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 104/2024

उनवान : रिजमाराम व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तामीली की तारीख 04.09.2024 अंकित है। अर्थात नियत तारीख पेशी से एक दिन पूर्व प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उनके विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 से सूचित हो चुके थे।

नियत सुनवाई तिथी 05.09.2024 को प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01 लगायत 05/2024 में उनके विरुद्ध जुर्माना तथा बेदखली के आदेश पारित किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये पत्रांक/N.T./2024/189 दिनांक 05.09.2024 के पटवारी माण्डीगढ़ को मांग कायमी तथा प्रार्थीगण/अतिचारियों की भौतिक रुप से बेदखली हेतु तहरीर जारी की गई।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से अपीलार्थीगण का यह तर्क आधारहीन सिद्ध होता है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस/सम्मन को लेने से इनकार किया गया, जिसकी तस्दीक दो स्वतन्त्र मौतबिरानों द्वारा सम्मन की पुष्ट पर की गई है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 777 (मौजा राजपुरा) चारागाह भूमि के रुप में दर्ज है, जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। उक्त प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर रहवास या अतिक्रमण से कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है। ऐसी भूमियों पर अतिक्रमण, अतिक्रमण ही माना जाएगा, भले वो अतिक्रमण कितना ही पुराना क्यो न हो।

उपरोक्त वजुहातों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 01/2024 से 05/2024 निर्णय दिनांक 05.09.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली